

भाग 2

7.	परियोजना/स्कीम का नाम	जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 464.700 से कि.मी. 489.00, राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या-25 के (लखनऊ-हरदोई रोड) कि.मी. 224.00 कि.मी. 262.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-56 (लखनऊ-सुल्तानपुर रोड) (सोमनाथ द्वार-शहीद पथ वॉया अर्जुनगंज) के कि.मी. 3.35 से कि.मी. 10.00, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (लखनऊ-सुल्तानपुर रोड) हजरतगंज चौराहा से मायावती आवास के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 02.00, (लखनऊ-सुल्तानपुर रोड) अर्जुनगंज-लिक शहीद पथ) के कि.मी. 10.00 से कि.मी. 11.50, राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या - 24बी (लखनऊ-रायबरेली रोड) के कि.मी. 5.50 से कि.मी. 23.00 तक कुल कि.मी. 90.45 एवं 0.9533 हे0 संरक्षित वन भूमि में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने की अनुमति के संबंध में।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ0प्र0
(ii)	जिला	लखनऊ
(iii)	वन प्रभाग	अवध वन प्रभाग लखनऊ ।
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0) में	0.9533 हे0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.01
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्नक की जायें) सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एक और एल.एफ. और एल.-2 मीटर पर परिगणना और आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है।
(viii)	भूरक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन सीमा से मिला हुआ है।
(x)	क्या फार्म उद्यान वन्यजीव, अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी काराडोर आदि का भग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीवनकार्ड का टिप्पणियों अनुबंधित की जायें।)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्योरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी सक्षम प्राधिकरण से अपनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्योरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रश्नगत कार्य किया जाना जनहित में है जिससे आस-पास के लोगो को वार्तालाप करने में सुविधा मिलेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास वन भूमि ही है, इस हेतु भूमि की माँग न्यूनतम है अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि दोष अधिकारियों पर की गई कार्यवाही वन ब्योरा दें तथा उल्लंघन संबंधी अभी भी चल रहें है।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम वन ब्योरा।	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित बनेत्त: क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्याप्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544/14-2-2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा के अन्तर्गत 20 कि. मी क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु वांछित धनराशि प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है। संबंधित अभिलेखों की छाया प्रति पेज- से तक संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	10 (i) के अनुसार

(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	10 (I) के अनुसार
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	10 (I) के अनुसार
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)।	10 (I) के अनुसार
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7,8,9 से पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।	संलग्न है
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	
i	जिले के भौगोलिक क्षेत्र	252800 हे0
ii	जिले का वन क्षेत्र	10327.12 आरक्षित वन, 259.80 संरक्षित वन
iii	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	86 मामले 252.3689
iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वर्गीकरण	
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	293.48 हे0
ख	वनेत्तर भूमि	5.27 हे0
v	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
क	वन भूमि पर	114.42 हे0 व 9762 ब्रिकगार्ड व आयरन ट्रीगार्ड
ख	वनेत्तर भूमि पर	5.27 हे0
13	कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	जनहित एवं विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- 17/7/2017

स्थान- लखनऊ

(ए0के0 सिंह)

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
लखनऊ

(मनोज कुमार सोनकर)
प्रभागीय वनाधिकारी,

अवध वन प्रभाग, लखनऊ।